



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०
(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ
CIN : U32201UP1999SGC024928

सं०- I/57564/2026

/Comp No-12218/PO/E-7/HP

दिनांक-29.06.2026

कार्यालय-ज्ञाप

नोटिस सं० 13/June 2026/Lucknow के सापेक्ष किये गये आवेदनों पर कारपोरेशन (मु०) स्तर पर गठित आवास आवंटन समिति द्वारा लिए गये निर्णय के अनुपालन में लखनऊ स्थित विभिन्न आवासीय कालोनियों में जनपद लखनऊ में स्थित विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत अधोनामित कार्मिकों के नाम के सम्मुख स्तम्भ-06 में अंकित आवास एतद्द्वारा आवंटित किये जाते हैं:-

TYPE-04					
क्रम सं०	कार्मिक का नाम/ पदनाम/ कार्यालय का पता सर्वश्री/श्रीमती	सैप आई०डी०	आवास श्रेणी अर्हतानुसार वर्तमान जनपद में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि	वर्तमान आवासीय स्थिति	आवंटित आवास
01	02	03	04	05	06
01	Updesh Kumar , AE, Energy audit and accounts, Shakti Bhawan Lucknow	11001194	22-07-2024	Outside	Indralok 04/48

TYPE-02					
क्रम सं०	कार्मिक का नाम/पदनाम/कार्यालय का पता सर्वश्री/श्रीमती	सैप आई०डी०	आवास श्रेणी के अर्हतानुसार वर्तमान जनपद में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि	आवासीय स्थिति	आवंटित आवास
01	02	03	04	05	06
01	Vaishnavi Jaiswal, EA, CE CMUT, UPPTCL Shakti Bhawan Lucknow	40000196	23-11-2023	Outside	Motijheel LM 69
02	Neeraj, Asst. Accountant, EUDD Kanpur Road Lesa, Lucknow	14600315	16-07-2024	Outside	Indralok 02/64

TYPE-01					
क्रम सं०	कार्मिक का नाम/पदनाम/कार्यालय का पता सर्वश्री/श्रीमती	सेप आई०डी०	आवास श्रेणी के अर्हतानुसार वर्तमान जनपद में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि	आवासीय स्थिति	आवंटित आवास
01	02	03	04	05	06
01	Surya Prakash, Anusewak, Camp Office GM (Accounts), Shakti Bhavan Lucknow	14400185	01-08-2013	Indralok 01/107	Indralok 01/101


उक्त आवंटन निम्नांकित प्रतिबन्धों एवं शर्तों के अधीन रहेगा-

01. आवंटी द्वारा आवास आवंटन आदेश निर्गत होने की तिथि (29-06-2026) से एक माह के भीतर कब्जा प्राप्त करना अनिवार्य होगा। एक माह की अवधि में आवास कब्जा प्राप्त न करने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त हो जायेगा।
02. आवंटी द्वारा आवास का कब्जा लेने के पश्चात अपने वेतन से आवास किराया भत्ता स्थगित कराने तथा विद्युत मद में नियमानुसार कटौती करना भी सुनिश्चित करेंगे।
03. आवंटी यदि आवास आवंटन के आदेश जारी होने की तिथि से एक माह के भीतर आवास का कब्जा प्राप्त नहीं करता है तो आवास आवंटन प्रक्रिया से 03 वर्ष तक वारित (Debar) कर दिया गया जायेगा।
04. आवंटित आवास यदि मरम्मत योग्य है, तो साधारणतः कार्मिक द्वारा आवास का कब्जा प्राप्त कर साथ में ही संबंधित जानपद इकाई से मरम्मत का अनुरोध किया जायेगा। यदि आवास में ज्यादा मरम्मत की आवश्यकता है, जिसमें कार्मिक को कब्जा लेने हेतु दी गयी 01 माह की अवधि से अधिक समय लगना संभावित हो, तो अधिशासी अभियन्ता जानपद से मरम्मत की अनुमानित अवधि प्राप्त कर कार्मिक द्वारा संयोजक, आवास आवंटन समिति को तत्काल सूचित किया जाएगा, जिसके आधार पर आवंटित आवास में कब्जा लेने हेतु समिति द्वारा समय-विस्तार प्रदान किये जाने पर विचार किया जायेगा।

आवास आवंटन समिति की आज्ञा से,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. मुख्य अभियन्ता, (जानपद) पारेषण-द्वितीय, नवम तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत जानपद निर्माण खण्ड-प्रथम, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित है कि आवंटित किये गये आवास का कब्जा प्राप्त न करने वाले कार्मिकों की सूची अविलम्ब प्रस्तुत करेंगे।
3. अधिशासी अभियन्ता (वेब), 30प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना को कारपोरेशन की वेबसाईट के 'कर्मचारी कॉर्नर' के 'विभागीय आवास आवंटन' के अन्तर्गत अपलोड करने का कष्ट करें।
4. सहायक अभियन्ता, विद्युत जानपद निर्माण उपखण्ड प्रथम, इंद्रलोक हाईडिल कालोनी, लखनऊ।
5. सहायक अभियन्ता, विद्युत जानपद निर्माण उपखण्ड द्वितीय/चतुर्थ, चन्द्रलोक हाईडिल कॉलोनी, लखनऊ।
6. संबंधित कार्मिक।


29.06.2026

(सूरज पाल)

संयोजक एवं कार्मिक अधिकारी

आवास आवंटन समिति

कार्यालय मुख्य अभियन्ता(हा०)